राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

आवश्यक/अस्थाई नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधीन सहायक नगर नियोजक के 9 रिक्त पदों एवं सहायक नगर नियोजक (पी.आर.) के 6 रिक्त पदों को आवश्यक/ अस्थाई आधार ;न्तहमदजध्ज्मउचवतंतल ठेंपेद्ध पर सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह भर्ती राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के प्रावधानान्तर्गत की जायेगी, जो अधिकतम 6 माह अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए होगी। इन अभ्यर्थियों को 16,700/—रू. का फिक्स वेतन देय होगा।

भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :—

सहायक नगर नियोजकः—

क्र.सं.	श्रेणी	सामान्य	महिला	कुल
1.	अनारक्षित (सामान्य)	4	0	4
2.	अनुसूचित जाति	2	0	2
3.	अनुसूचित जनजाति	0	1	1
4.	पिछड़ा वर्ग	1	1	2
5.	विशेष पिछड़ा वर्ग	0	0	0
कुल योगः—		**7**	**2**	**9**
6.	निःशक्तजन	1 (दृष्टिहीन)	0	1

सहायक नगर नियोजक (पी.आर.) :—

क्र.सं.	श्रेणी	सामान्य	महिला	कुल
1.	अनारक्षित (सामान्य)	4	1	5
2.	अनुसूचित जाति	0	0	0
3.	अनुसूचित जनजाति	0	0	0
4.	पिछड़ा वर्ग	1	0	1
5.	विशेष पिछड़ा वर्ग	0	0	0
कुल योगः—		**5**	**1**	**6**
6.	निःशक्तजन	0	0	0

नोट :—

- निःशक्तजन के लिए आरक्षित पद हेतु उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इसे सामान्य श्रेणी से भरा जावेगा।

- राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते है। राजस्थान राज्य के विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के (क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं।

न्यूनतम योग्यताएं एवं अर्हताएं :–

(अ) सहायक नगर नियोजकः–

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री या सरकार द्वारा इसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता। उन व्यक्तियों को अधिमानता दी जायेगी, जो वास्तुकला में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से टाउन/सिटी/क्षेत्रीय आयोजना में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या इसके समतुल्य अर्हता रखते हों।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री, साथ ही भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से टाउन/ सिटी/क्षेत्रीय आयोजना में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या इसके समतुल्य।

परन्तु यह कि उपरोक्त पद की योग्यता के पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिये पात्र होगा, किन्तु उसे नियुक्ति प्राधिकारी को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

(ब) सहायक नगर नियोजक (पी.आर.) :–

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल/अर्थशास्त्र/समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री।

और

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से टाउन/सिटी/क्षेत्रीय आयोजना में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या सरकार द्वारा इसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

नोट :–

ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:–

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होतीः

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जायेगा।

आयु :–

आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट :–

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

आवेदन पत्र :–

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि विज्ञापन जारी होने की तिथि से 15 दिवस में होगी। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र सादा कागज पर टंकित कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :–

1. जन्म–तिथि प्रमाण पत्र (सैकण्डरी का प्रमाण पत्र)।
2. निर्धारित योग्यता की सभी वर्षों की अंकतालिकाऐं।
3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
4. विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हो तो)।
5. कुल संतानों का शपथ–पत्र (जन्म तिथि सहित)।
   (अविवाहित होने की स्थिति में अविवाहित होने एवं संतान न होने का शपथ–पत्र)
6. यदि किसी संस्था की अंकतालिका में अंक अंकित न होकर ग्रेड अंकित हैं तो प्रतिशत निकालने हेतु संस्था का प्रमाण पत्र।
7. वर्तमान में यदि किसी विभाग में पदस्थापित हैं तो उस विभाग/संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

नोट :–

1. अभ्यर्थी द्वारा समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रति लगाया जाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।
2. सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर भेजना आवश्यक है, इसके अभाव में आवेदक को साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जावेगी और उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।

आवेदन शुल्क :–

सामान्य वर्ग हेतु 300 रू., अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 200 रू. एवं निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 100 रू. पोस्टल ऑर्डर द्वारा (बैंकर्स–चैंक/ड्राफ्ट मान्य नहीं)।

नोट :–

पोस्टल ऑर्डर वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर के नाम देय होगा।

<u>अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं :–</u>

1. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का पासपोर्ट साईज फोटो (6 माह से अधिक पुराना न हो), फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
2. विज्ञापन प्रसारित होने के पश्चात् विभाग द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।
3. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं एवं इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या अधिक होने एवं इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सुविधाजनक या सम्भव नहीं होने की स्थिति में विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से उच्च योग्यताओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में यथोचित् सीमा तक कमी की जा सकती है।
4. आवेदनकर्ता अभ्यर्थी जब भी राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो, स्वयं के स्तर पर उचित माध्यम द्वारा आवेदन करेगा।
5. पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर (जेएलएन मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने) के कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहियें।
6. आवेदन–पत्र का प्रारूप नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट http://udhrajasthan.gov.in/ctp.asp पर उपलब्ध है।

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

सहायक नगर नियोजक/ सहायक नगर नियोजक (पी.आर.) के पदों पर आवश्यक/अस्थाई (Urgent/Temporary Basis) नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र

यदि आप राजस्थान के अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अ.पि.व. के सदस्य हैं तो कृपया जाति का उल्लेख सामने वाले संबंधित कॉलम में करें।	अनु. जाति		अनु. जनजाति		अन्य पिछडा वर्ग		निःशक्त		
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	वर्ग

नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित

1. (क) नाम हिन्दी में (बड़े अक्षरों में) श्री/श्रीमती/कुमारी ....

   (ख) Name in English (IN BLOCK LETTERS) Mr./Mrs./Miss..

2. जन्म दिनांकः अंकों में:–..............................शब्दों में:–..
   (हाई स्कूल/सैकण्डरी/हा.सै. के प्रमाण–पत्र के अनुसार)

3. विज्ञापन के अनुसार निर्धारित दिनांक (आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि) को आयु :–
   वर्ष .... माह .... दिन ....

4. पिता/पति का नामः– ....

5. (क) वर्तमान डाक का पूरा पताः– ....
   (जहाँ आप पत्र व्यवहार चाहते हैं)
   ....

   (ख) स्थाई निवास का पताः– ....

   ....

6. शुल्क का विवरण (अभ्यर्थी स्वयं भरें) कार्यालय प्रयोग हेतु

डाक घर का नाम	पोस्टल ऑर्डर सं.	दिनांक	राशि (रूपये)

शुल्क रू. ....
प्राप्त हुआ तथा दिनांक .... को जमा किया गया।

हस्ताक्षर लिपिक

नोट :– पोस्टल ऑर्डर को रेखांकित करना, उस पर अपना नाम/पता व वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर लिखना न भूलें तथा कॉउन्टर फाइल अपने पास ही रखें।

7. शैक्षणिक योग्यताएॅ :–

परीक्षा जो उत्तीर्ण की हैं।	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	संकाय का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	संलग्न प्रमाण पत्रों की नत्थी सं.
1	2	3	4	5	6	7
मैट्रिक / हाईस्कूल / सैकण्डरी						
शिक्षा में स्नातक						
अन्य कोई उपाधि / डिप्लोमा / पी.जी.						

8. यदि आपने पहले कहीं कार्य किया है या कहीं कार्यरत हैं तो उसका प्रारम्भ से अब तक का विवरण नीचे दीजिए। (यदि स्थान कम रहे तो अलग से विवरण संलग्न करें) :–

पद का नाम	नियुक्ति अधिकारी का पद, नाम एवं विभाग	पद ग्रहण का दिनांक	पद छोड़ने का दिनांक	अस्थाई / स्थाई	वेतनमान एवं वर्तमान मूल वेतन	संलग्न प्रमाण पत्र नत्थी संख्या

9. जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उस पद के लिए क्या आप पहले कभी उम्मीदवार रहे हैं? यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण लिखें।

विभाग सहित पदनाम	वर्ष	संवीक्षा परीक्षा / साक्षात्कार का परिणाम

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ सच्ची, पूर्ण और सही हैं।

दिनांक : ....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

10. यदि कोई अन्य विशेष योग्यता/अनुभव प्राप्त हो और इस पद के चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण दें।

....

11. क्या आपको दण्डित, पदच्युत या ब्लैक लिस्ट किया गया है? यदि ऐसा है तो वह धारा जिसके अन्तर्गत दण्डित किया गया और जो दण्ड दिया गया उसे वर्णित करें।

....

आवेदक द्वारा हस्ताक्षरयुक्त घोषणा

मैं, भारत का/की नागरिक हूँ तथा मेरा निवास स्थान .... राज्य में है। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ सत्य, पूर्ण एवं सही हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सूचना यदि गलत या झूठी पाई जाये या चयन से पूर्व अथवा बाद में मेरी अपात्रता का पता चल जाए तो विभाग मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम : ....

पता : ....

....

आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करें।
(हाँ/नहीं में अंकित करें।)

जन्म–तिथि प्रमाण पत्र (सैकण्डरी का प्रमाण पत्र)।	हाँ/नहीं
निर्धारित योग्यता की सभी वर्षों की अंकतालिकाऐं।	हाँ/नहीं
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।	हाँ/नहीं
विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हो तो)।	हाँ/नहीं
कुल संतानों का शपथ पत्र (जन्म तिथि सहित)। (अविवाहित होने की स्थिति में अविवाहित होने एवं संतान न होने का शपथ–पत्र)	हाँ/नहीं
यदि किसी संस्था की अंकतालिका में अंक अंकित न होकर ग्रेड अंकित हैं तो प्रतिशत निकालने हेतु संस्था का प्रमाण पत्र।	हाँ/नहीं
वर्तमान में यदि किसी विभाग में पदस्थापित हैं तो उस विभाग/संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र (मूल)।	हाँ/नहीं

नोट :–

1. अभ्यर्थी द्वारा समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रति लगाया जाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।
2. सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर भेजना आवश्यक है, इसके अभाव में आवेदक को साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जावेगी और उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।